राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर-302005

Ph. 0141-2227665, 2227514 Fax No. 2227147 E-mail rajseedsmarketing@gmail.com
CIN-U75132RJ1978SGC001781 www.rajseeds.org

कमांक : एफ 6( )विपणन/विपणन नीति/देय व्यापारिक छूट/2024-25/21374-21479 दिनांक : 28.12.2024

निगम द्वारा निर्धारित विपणन नीति के संबंध में पूर्व में जारी सभी परिपत्रों का अतिक्रमण करते हुए निदेशक मण्डल की 239वीं बैठक में अनुमोदन अनुसार निम्नानुसार विपणन नीति निर्धारित की जाती है, जो तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी :-

विपणन नीति परिपत्र

बीज विपणन तंत्र :-

- **राजकीय विभाग:-** निगम द्वारा विभिन्न राजकीय विभागों को उनकी मांग अनुसार प्राथमिकता से बीज उपलब्ध कराये जाते है, जिनमें मुख्यतया कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग को मिनिकिट्स एवं प्रदर्शन बीज मुख्यालय स्तर तथा इकाई स्तर से आवंटित कर आपूर्ति किये जावेंगे।

- **सामान्य बीज वितरण :-**

(अ) अनुदानित दर पर :- निगम द्वारा उपलब्धता एवं कृषि विभाग द्वारा आवंटित लक्ष्य अनुसार अनुदानित दर पर बीजों का विक्रय राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के स्वंय के बीज विक्रय केन्द्र, सहकारी समितियों, क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति, एफपीओ आदि के माध्यम से बीज विक्रय किया जावेगा।

(ब) गैर अनुदानित दर पर :- बीजों का विक्रय एमओयू के माध्यम से जुड़े अधिकृत विक्रेताओं, जिलेवार नियुक्त प्रतिबद्ध/Committed विक्रेताओं, सहकारी समितियों यथा क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति, राजफैड़, निजी बीज विक्रेताओं एवं निगम के स्वयं के बीज विक्रय केन्द्रों के माध्यम से किया जावेंगा

- **अधिकृत विक्रेता (Authorised Dealer) :-** वैध बीज अनुज्ञा पत्रधारी विक्रेता जो राजसीड्स कार्यालय मे रजिस्टर्ड या पंजीकृत है। अधिकृत विक्रेता की श्रेणी में माने जावेगे।

- **प्रतिबद्ध विक्रेता (Committed Dealer) :-** वह अधिकृत विक्रेता जो राजसीड्स मुख्यालय द्वारा प्रतिबद्ध विक्रेता की निर्धारित नियम व शर्तो की पालना करते हुए रजिस्टर्ड या पंजीकृत होगे, प्रतिबद्ध विक्रेता कहलायेगें।

इकाई के क्षेत्राधीन जिलों हेतु अधिकृत विक्रेता संयन्त्र प्रबन्धक के स्तर से नियुक्त किये जायेगें। प्रतिबद्ध विक्रेता मुख्यालय स्तर से जिलेवार नियुक्त किये जा सकेगे।

- **अन्य राज्यों व संस्थाओं को बीज विक्रयः–** अन्य राज्यों व संस्थाओं से मांग प्राप्त होने पर, उपलब्धता के आधार पर प्रबन्ध निदेशक स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर विक्रय किया जावेंगा। इसका विक्रय निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य अथवा आपसी सहमति से निर्धारित दर पर (एक्स–गोदाम) किया जावेंगा। बीज का विक्रय अग्रिम भुगतान प्राप्त कर अथवा आपसी सहमति के आधार पर किया जावेंगा।

- **किसानों को सीधा विक्रयः–** राजसीड्स के सभी 22 संयंत्रों/बीज विस्तार केन्द्र तथा कृषि मण्डी में राजसीड्स के स्वयं की दुकानों/बीज विक्रय केन्द्रों के माध्यम से भी राज्य के किसानों को बीज उपलब्ध कराया जावेंगा।

बीज विक्रय पर देय व्यापारिक छूट :-

(अ) अनुदानित दर पर बीज विक्रय

1. कृषि विभाग की योजनाओ में अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज विक्रय राज्य की बीज अनुज्ञा पत्रधारी क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति, तिलहन सहकारी समितियों/लैम्पस पैक्स एफ.पी.ओ. राजसीड्स के स्वंय के आउटलेट के द्वारा ही किया जावेंगा। इस हेतु राजसीड्स के स्वयं के आउटलेट के अलावा उपरोक्तानुसार अंकित सभी संस्थाओं को 8 प्रतिशत व्यापारिक छूट दी जावेंगी, जो कृषक से वसूली योग्य राशि पर देय होगी।

2. मिनिकिट में स्थानीय परिवहन एवं लोडिंग/अनलोडिंग हेतु कृषि विभाग द्वारा निर्धारित हैण्डलिंग चार्जेज 3 प्रतिशत का भुगतान निगम को किया जावेंगा। मिनिकिट की दरों में 3 प्रतिशत हैण्डलिंग चार्जेज शामिल करते हुए दरें कृषि विभाग को दी जावेगी।

3. विभागीय योजनाओं में प्रदर्शनों के आयोजन एवं अन्य योजनाओं में बीज आपूर्ति पर स्थानीय परिवहन एवं लोडिंग/अनलोडिंग हेतु कृषि विभाग द्वारा निर्धारित हैण्डलिंग चार्जेज 3 प्रतिशत का भुगतान सहकारी संस्थाओं यथा ग्राम सेवा/क्रय–विक्रय सहकारी समितियों को देय होगा। जिसका समायोजन निगम द्वारा आपूर्तित बीज की राशि में से किया जा सकेगा।

4. कृषि, उद्यान विभाग एवं अन्य राजकीय विभागों को प्रदर्शन व मिनिकिट बीज अधिकतम खुदरा मूल्य अथवा आपसी सहमति से निर्धारित दर पर उपलब्ध कराया जावेंगा। यह बीज सहकारी समितियों के माध्यम से अथवा विभाग के दिशा– निर्देशानुसार विक्रय कराया जावेंगा। इन दरों में हैण्डलिंग चार्जेज को जोड़ते हुए दरें निर्धारित की जावेगी।

(ब) गैर–अनुदानित दर पर बीज विक्रय

5. गैर अनुदानित बीजों के विपणन हेतु अधिकतम खुदरा मूल्य का निर्धारण निगम की मूल्य संरचना को ध्यान में रखते हुए, वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी की अनुशंषा पर तत्समय प्रचलित बाजार की परिस्थितियों के मद्देनजर प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा किया जावेंगा।

6. सहकारी एवं निजी क्षेत्र के विक्रेताओ (अधिकृत / प्रतिबद्ध) / संस्थाओं को उनके द्वारा किये गये गैर अनुदानित बीजों के वार्षिक कारोबार के अनुसार अधिकतम खुदरा मूल्य पर निम्नानुसार व्यापारिक छूट देय होगी :–

कारोबार राशि	देय व्यापारिक छूट
0 से 10 लाख रूपयें तक के कारोबार पर	10 प्रतिशत व्यापारिक छूट ।
10 लाख से 25 लाख रूपयें तक के कारोबार पर	11 प्रतिशत प्रारम्भिक स्तर से देय ।
25 लाख से 50 लाख रूपये तक के कारोबार पर	12 प्रतिशत (1 प्रतिशत अतिरिक्त व्यापारिक छूट 25 लाख रूपयें से अधिक पर ही देय)।
50 लाख से 100 लाख रूपये तक के कारोबार पर	50 लाख तक के कारोबार पर 12 प्रतिशत व्यापारिक छूट जो उपरोक्तानुसार देय एवं 50 लाख से अधिक 100 लाख रूपये तक के कारोबार पर 13 प्रतिशत व्यापारिक छूट देय।
100 लाख से 150 लाख रूपये तक के कारोबार पर	13.50 प्रतिशत (0.50 प्रतिशत अतिरिक्त व्यापारिक छूट 100 लाख रूपयें से अधिक पर ही देय)।
150 लाख से 200 लाख रूपये तक	14 प्रतिशत (0.50 प्रतिशत अतिरिक्त व्यापारिक छूट 150 लाख रूपयें से अधिक पर ही देय)।
200 लाख से 250 लाख रूपये तक के कारोबार पर	14.50 प्रतिशत (0.50 प्रतिशत अतिरिक्त व्यापारिक छूट 200 लाख रूपयें से अधिक पर ही देय)।
250 लाख से अधिक तक के कारोबार पर	15 प्रतिशत (0.50 प्रतिशत अतिरिक्त व्यापारिक छूट 250 लाख रूपयें से अधिक पर ही देय)।

7. सहकारी एवं निजी क्षेत्र के निगम के पंजीकृत विक्रेता/संस्था द्वारा निगम मुख्यालय पर न्यूनतम राशि रू. 50.00 लाख जमा करवाकर, एकमुश्त मांग प्रस्तुत करने पर बीज कारोबार किया जाता है एवं इस हेतु एक अथवा अधिक इकाईयों से बीज आपूर्ति किये जाने पर भी इसे एक ही कारोबार मानते हुए व्यापारिक छूट की गणना की जावेगी।

8. निगम इकाईयों /बीज विस्तार केन्द्रों एवं स्वयं के आउटलेट्स / बीज विक्रय केंद्रों से गैर अनुदानित बीज क्रय करने पर कृषकों को विक्रय दर पर 8 प्रतिशत छूट देय होगी।

9. खरीफ एवं रबी सीजन में आवश्यकतानुसार समय पूर्व निगम द्वारा बीज आपूर्ति हेतु अग्रिम उठाव योजना लागू की जा सकती है। इस हेतु अधिकृत विक्रेता को निर्धारित तिथि तक बीज की समस्त राशि जमा करवानी होगी। अग्रिम जमा राशि ना तो लौटायी जावेंगी और ना ही अन्य किसी बीज के क्रय करने में समायोजित की जावेंगी। अग्रिम उठाव योजना में क्रय किये गये बीज पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त व्यापारिक छूट देय होगी। असामान्य परिस्थितियो में बीज उठाव नही करने पर अग्रिम उठाव हेतु जमा कराई गई राशि का समायोजन, शास्ती (जमा राशि का 25 प्रतिशत) एवं वापस लौटाने के संदर्भ में कमेटी द्वारा समीक्षा कर गुण अवगुण के आधार पर निर्णय लेगी। इस सम्बध में अंतिम निर्णय प्रबंध निदेशक का मान्य होगा।

10. राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड (राजससंघ), राजफैड एवं अन्य संस्थाओं/बीज विक्रेताओं के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले बीज पर व्यापारिक छूट उनसे होने वाले एम.ओ. यू. के आधार पर देय होगी।

11. **निजी/सहकारी क्षेत्र के विक्रेताओं को अन्य सुविधायें:–**

- निजी/सहकारी क्षेत्र के अधिकृत विक्रेताओं को अनुदानित एवं गैर अनुदानित 5 किग्रा तक पैकिंग साईज के बीजों की 25 क्विं. से अधिक मात्रा व अन्य बीजों की 45 क्विं. अथवा अधिक मात्रा एक

साथ उठाने पर एफ.ओ.आर. सुविधा (लोडिंग व्यय सहित) प्रदान की जावेंगी। यदि विक्रेता बीज अपने स्वयं के साधन से परिवहन करता है तो निगम की अधिकृत परिवहन दर से राशि उसके क्रय बिल में सायोजित की जा सकती है। उक्त दोनों ही परिस्थितियों में अनलोडिंग व्यय निजी /सहकारी क्षेत्र के अधिकृत विक्रेता द्वारा वहन किया जावेंगा। उक्त निर्धारित मात्रा से कम मात्रा उठाने पर एफ.ओ.आर. सुविधा देय नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में राजकीय विभागों की मांग अनुसार मिनिकिट आपूर्ति हेतु एफ.ओ.आर सुविधा दी जावेगी।

- निजी क्षेत्र/सहकारी क्षेत्र के विक्रेताओं को गैर अनुदानित बीज पर उक्तानुसार एफओआर सुविधा मय लोडिंग, उसके स्वयं के गोदाम/दुकान तक देय होगी। किन्तु 50 लाख से अधिक के कारोबार पर विक्रेताओं को एफओआर सुविधा उनके स्वयं के मुख्य गोदाम/उनके अधिकृत विक्रेता के गोदाम/दुकान पर भी देय होगी। जिसकी सूची सीजन पूर्व कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। यदि विक्रेता बीज अपने स्वयं के साधन से परिवहन करता है तो निगम की अधिकृत परिवहन दर से राशि उसके क्रय बिल में समायोजित की जा सकेगी। अनलोडिंग व्यय अधिकृत विक्रेता को वहन करना होगा।

- सीजन समाप्ति से पूर्व बुवाई के आंकड़े, बीज की उपलब्धता व सीजन अवधि को ध्यान में रखते हुए अवशेष मात्रा की समीक्षा कर निगम को कम से कम हानि हो, इसके मद्देनजर रखते हुए अधिकतम खुदरा मूल्य पर पुनः विचार कर कमेटी की अनुंशषा पर प्रबंध निदेशक महोदय के अनुमोदन उपरान्त संशोधित विक्रय दर (जो मूल लागत से कम नहीं हो) निर्धारित करते हुए बीजों का विक्रय किया जावेंगा।

- यदि निगम द्वारा अग्रिम उठाव/अग्रिम आरक्षण योजना लागू नहीं की जाती है तो सामान्य परिस्थिति में विक्रेता द्वारा खरीफ सीजन के लिए 15 मई तक एवं रबी सीजन के लिए 15 सितम्बर तक 100 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर 50 लाख से अधिक कारोबार पर 1 प्रतिशत कैश डिस्काउन्ट (सी.डी.) देय होगा। बीज का उठाव सीजन पूर्व किया जावेगा। यदि सीजन समाप्ति से पूर्व बीज का उठाव नही किया जावेगा तो जमा सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी।

- राजसीड्स के उत्पादित बीजों का प्रभावी विपणन हेतु सीजन पूर्व प्रेस मीडिया/प्रिंट मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/ सोशल मीडिया के माध्यम से यथा संभव प्रचार–प्रसार किये जाने का प्रयास किया जावेगा।